

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 614 / 10

संस्थित दि.: 13 / 08 / 10

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

देवानंद पिता सेवकदास खण्डारे, उम्र 52 साल, जाति महार,
निवासी वार्ड नं. 3 वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.).

..... आरोपी

- :: निर्णय :: -

(आज दिनांक 08 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस-4), 338 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 06.06.2010 को रात्रि के 01:00 बजे रंगोपाट आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम.पी.50-डी. 0137 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन को चट्टान से टकराकर लालचंद, रतिराम, योगेन्द्र एवं प्रताप को उपहति कारित की तथा राजेन्द्र को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी लालचंद ने दिनांक 27.06.2010 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 06.06.2010 को रात्रि के समय वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम.पी.50-डी.0137 से उसके भांजे सुनील की शादी से वापस आ रहा था तथा वाहन में रतिराम, योगेन्द्र बिसेन, राजेन्द्र, प्रताप भगत एवं अन्य लोग बैठे हुये थे। गाड़ी के चालक देवानंद ने गाड़ी को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर रंगोपाट के पहले गाड़ी को रोड के किनारे चट्टान से टकरा दिया, जिससे उसे तथा वाहन में बैठे अन्य लोगों को भी चोटें आईं। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 38 / 10 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं 183, 184 मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से वाहन जप्त कर आवश्यक

विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 183, 184 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्ट्स-4), 338 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक दिनांक 06.06.2010 को रात्रि के 01:00 बजे रंगोपाट आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम.पी.50-डी.0137 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- (2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम.पी.50-डी.0137 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर वाहन को चट्टान से टकराकर लालचंद, रतिराम, योगेन्द्र एवं प्रताप को उपहति कारित की ?
- (3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम.पी.50-डी.0137 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर वाहन को चट्टान से टकराकर राजेन्द्र को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी लालचंद (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना रात्रि के 01:30 बजे की है। वह बारात लेकर आ रहे थे। वाहन में राजेन्द्र, रतिराम, योगेन्द्र, देवानंद तथा अन्य व्यक्ति भी बैठे थे। वाहन चालक वाहन को शराब के नशे में लहराते हुये चला रहा था, जिससे वाहन पलट गया था तथा उसे व वाहन में बैठे अन्य लोगों को भी चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट की थी, जो प्रदर्श पी-03 है। उसने चोट के संबंध में थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया था, जो प्रदर्श पी-04 है। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-05 है।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता नरेन्द्र दुबे (अ.सा. 9) का कहना है कि दिनांक 27.06.2010 को उसने अपराध क्रमांक 38/10 अन्तर्गत धारा 279, 337, भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 की केश डायरी की विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर फरियादी लालचंद की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। दिनांक 03.08.2010 को आरोपी देवानंद से ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-22 तैयार किया था। दिनांक 04.09.2010 को आरोपी देवानंद से महिन्द्रा महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम.पी.50-डी.0137 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-21 तैयार किया था। फरियादी लालचंद एवं साक्षी रतिराम, योगेन्द्र, राजेन्द्र एवं प्रताप के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 03.08.2010 को आरोपी देवानंद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-23 तैयार किया था।

(09) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी महेश पटले (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 04.08.2010 को आरोपी देवानंद से एक जीप महिन्द्रा मैक्स कम्पनी की एम.पी.50-डी.0137 मय दस्तावेजों के उसके समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी-21 है।

(10) अभियोजन साक्षी डॉक्टर निलय जैन (अ.सा. 5) का कहना कि दिनांक 06.06.2010 को आहत लालचंद पिता परसराम को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में बांये घुठने एवं बांये कंधे पर घर्षण का निशान होना पाया था, जिनका आकार 2X2 सेन्टीमीटर था। उसने अस्थि रोग विशेषज्ञ, सर्जिकल रोग विशेषज्ञ के पास चोटों के ईलाज एवं अभिमत के लिये रिफर किया था। अभिमत में उसने बताया कि आहत को आई चोटे कड़ी एवं बोथरी वस्तु से उसके परीक्षण के पांच घण्टे के अन्दर की आना सभावित थी। उक्त दिनांक को ही उसने आहत रतिराम पिता गन्नुराम के चिकित्सीय परीक्षण में मस्तिष्क पर सामने की तरफ एवं नाक पर व दोनों नाक के बीच में एक लेसेरेटेड घाव होना पाया था। उसने आहत को पुरुष सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया था। अभिमत में उसने बताया कि आहत को आई चोटे कड़े एवं बोथरे वस्तु से उसके परीक्षण के पांच घण्टे के अन्दर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत योगेन्द्र बिसेन पिता लालचंद बिसेन के चिकित्सीय परीक्षण में दोनों नाक के बीच में एक घर्षण का निशान होना पाया था, जिसका आकार 1X1 था। उसने आहत को आई चोटों के लिये सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था। उसने आहत को आई चोटों के परीक्षण के लिये आहत को अस्थिरोग विशेषज्ञ को रिफर कर दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत राजेन्द्र पिता प्रेमचंद के चिकित्सीय परीक्षण में मस्तिष्क पर आगे की तरफ एक लेसेरेटेड घाव होना पाया था, जिसका आकार 2X2 सेन्टीमीटर था तथा नाक पर तथा ठूड़ी पर एक घर्षण का निशान होना पाया था, जिसका आकार 2X2 सेन्टीमीटर का था। उसने आहत को सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था। उसने आहत को आई चोटों के परीक्षण के लिये आहत को अस्थिरोग विशेषज्ञ को रिफर कर दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत प्रताप पिता प्रेमलाल के चिकित्सीय परीक्षण में सीधे हाथ की छोटी अंगुली पर एवं बीच वाली व इंडेक्स फिंगर पर एक कुचली हुई चोट होना पाया था, जिसमें से हड्डिया एवं मांस पेशिया बाहर दिख रही थी। उसने आहत को सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था। उसने आहत को आई चोटों के परीक्षण के लिये आहत को अस्थिरोग विशेषज्ञ को रिफर कर

दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।
आहतगणों की बाह्य रोगी पर्ची एवं आंतरिक रोगी पर्ची क्रमशः प्रदर्श पी-10 से लगायत
प्रदर्श पी-20 है।

(11) अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.के.राऊत (अ.सा. 1) का कहना है कि दिनांक 23.06.2010 को एक्सरे टेक्नेशियन ए.के.सेन ने आहत राजेन्द्र, उम्र 35 साल की दाहिनी कलाई का एक्सरे किया था, जिसकी एक्सरे प्लेट क्रमांक 2383 थी, जिससे डॉक्टर डोंगरे ने एक्सरे हेतु रिफ्र किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट को उसके समक्ष परीक्षण हेतु रखे जाने पर उसने दाहिने हाथ की रेडियस और अलना हड्डी के नीचले भाग में फ्रैक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 है। दिनांक 08.06.2010 को टेक्नीशियन ए.के.सेन ने रतिराम, उम्र 45 साल के सीने का एक्सरे किया था, उसका एक्सरे प्लेट क्रमांक 2419 था उपरोक्त एक्सरे प्लेट उसके समक्ष परीक्षण हेतु रखे जाने पर उसने आहत के सीने की हड्डियों में कोई फ्रैक्चर होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 है।

(12) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी रतिराम (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना 05.06.2010 की ग्राम भोरवाही रात्रि के 01:30 बजे की है। वाहन से वह शादी में गये थे। वाहन में उसके साथ लालचंद, राजेन्द्र, योगेन्द्र, एवं प्रताप बैठे हुये थे। वाहन को आरोपी देवानंद शराब पीकर लहराते हुये चला रहा था, जिससे वाहन पलटी खा गया था। वाहन के पलटने से उसे तथा वाहन में बैठे अन्य लोगों को भी चोटे आई। उसका मुलाहिजा बालाघाट अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राजेन्द्र (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना 05 जून रात्रि के 01:30 बजे की है। आरोपी ने वाहन मेक्स गाड़ी को शराब पीकर तेजगति से लहराते हुये चलाकर चट्टान से टकरा दिया, जिससे उसे तथा वाहन में बैठे अन्य लोगों को चोट आई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

(13) अभियोजन साक्षी योगेन्द्र बिसेन (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग चार वर्ष पुरानी है। वह ग्राम भोरवाही (परसवाड़ा) से बारात में ग्राम कवलीवाड़ा जा रहा था। मार्शल गाड़ी में उसके बड़े भाई की बारात जा रहा थी। परसवाड़ा के आगे यहां से घाट चालू होता है वहां पर वाहन का एक्सीडेंट हो गया था।

आरोपी शराब पिया हुआ था। आरोपी वाहन को लहराकर चला रहा था। दुर्घटना रात को एक से डेढ़ बजे के बीच हुई थी। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। दुर्घटना में उसे तथा उसके पिता लालचंद, रतिराम राहंगडाले, प्रताप भगत, राजेन्द्र को चोटे आई थी। घटना के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसका ईलाज जिला चिकित्सालय बालाघाट में हुआ था तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी प्रताप यादव (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से चार वर्ष पुरानी रात्रि के 12530 बजे की है। वह ग्राम भोरवाही से उसके साडूभाई की लड़की की बारात से ग्राम कवलीवाड़ा जा रहा था। परसवाड़ा के आगे जहां घाट चालू होता है वहां पर उक्त वाहन का एक्सीडेंट हो गया था। वाहन अनियंत्रित हो गया था, जिससे वाहन चट्टान से जाकर टकरा गया था। आरोपी वाहन को शराब पीकर तेजगति से चला रहा था। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। दुर्घटना में उसे तथा योगेन्द्र, लालचंद, रतिराम, राजेन्द्र को चोटे आई थी। घटना के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर आरोपी को झूठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी/फरियादी लालचंद (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना रात्रि के 01:30 बजे की है। वह बारात लेकर आ रहे थे। वाहन में राजेन्द्र, रतिराम, योगेन्द्र, देवानंद तथा अन्य व्यक्ति भी बैठे थे। वाहन चालक वाहन को शराब के नशे में लहराते हुये चला रहा था, जिससे वाहन पलट गया था तथा उसे व वाहन में बैठे अन्य लोगों को भी चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट की थी, जो प्रदर्श पी-03 है। उसने चोट के संबंध में थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया था, जो प्रदर्श पी-04 है। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता नरेन्द्र दुबे (अ.सा. 9) का कहना है कि दिनांक 27.06.2010 को उसने अपराध क्रमांक 38/10 अन्तर्गत धारा 279, 337, भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 की केश डायरी की विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर फरियादी लालचंद की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। दिनांक 03.08.2010 को आरोपी देवानंद से ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-22 तैयार किया था। दिनांक 04.09.2010 को आरोपी देवानंद से महिन्द्रा महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम.पी.50-डी.0137 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-21 तैयार किया था। फरियादी लालचंद एवं साक्षी रतिराम, योगेन्द्र, राजेन्द्र एवं प्रताप के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 03.08.2010 को आरोपी देवानंद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-23 तैयार किया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी महेश पटले (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 04.08.2010 को आरोपी देवानंद से एक जीप महिन्द्रा मेक्स कम्पनी की एम.पी.50-डी.0137 मय दस्तावेजों के उसके समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी-21 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) अभियोजन साक्षी डॉक्टर निलय जैन (अ.सा. 5) का कहना कि दिनांक 06.06.2010 को आहत लालचंद पिता परसराम को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में बांये घुटने एवं बांये कंधे पर घर्षण का निशान होना पाया था, जिनका आकार 2x2 सेन्टीमीटर था। उसने अस्थि रोग विशेषज्ञ, सर्जिकल रोग विशेषज्ञ के पास चोटों के ईलाज एवं अभिमत के लिये रिफर किया था। अभिमत में उसने बताया कि आहत को आई चोटे कड़ी एवं बोथरी वस्तु से उसके परीक्षण के पांच घण्टे के अन्दर की आना सभावित थी। उक्त दिनांक को ही उसने आहत रतिराम पिता गन्नुराम के चिकित्सीय परीक्षण में मस्तिष्क पर सामने की तरफ एवं नाक पर व दोनों नाक के बीच में एक लेसेरेटेड घाव होना पाया था। उसने आहत को

पुरुष सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया था। अभिमत में उसने बताया कि आहत को आई चोटे कड़े एवं बोथरे वस्तु से उसके परीक्षण के पांच घण्टे के अन्दर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत योगेन्द्र बिसेन पिता लालचंद बिसेन के चिकित्सीय परीक्षण में दोनों नाक के बीच में एक घर्षण का निशान होना पाया था, जिसका आकार 1X1 था। उसने आहत को आई चोटों के लिये सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था। उसने आहत को आई चोटों के परीक्षण के लिये आहत को अस्थिरोग विशेषज्ञ को रिफर कर दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत राजेन्द्र पिता प्रेमचंद के चिकित्सीय परीक्षण में मस्तिष्क पर आगे की तरफ एक लेसेरेटेड घाव होना पाया था, जिसका आकार 2X2 सेन्टीमीटर था तथा नाक पर तथा ठूड़ी पर एक घर्षण का निशान होना पाया था, जिसका आकार 2X2 सेन्टीमीटर का था। उसने आहत को सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था। उसने आहत को आई चोटों के परीक्षण के लिये आहत को अस्थिरोग विशेषज्ञ को रिफर कर दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत प्रताप पिता प्रेमलाल के चिकित्सीय परीक्षण में सीधे हाथ की छोटी अंगुली पर एवं बीच वाली व इंडेक्स फिंगर पर एक कुचली हुई चोट होना पाया था, जिसमें से हड्डिया एवं मांस पेशिया बाहर दिख रही थी। उसने आहत को सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था। उसने आहत को आई चोटों के परीक्षण के लिये आहत को अस्थिरोग विशेषज्ञ को रिफर कर दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। आहतगणों की बाह्य रोगी पर्ची एवं आंतरिक रोगी पर्ची क्रमशः प्रदर्श पी-10 से लगायत प्रदर्श पी-20 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.के.राऊत (अ.सा. 1) का कहना है कि दिनांक 23.06.2010 को एक्सरे टेक्नेशियन ए.के.सैन ने आहत राजेन्द्र, उम्र 35 साल की दाहिनी कलाई का एक्सरे किया था, जिसकी एक्सरे प्लेट क्रमांक 2383 थी, जिससे डॉक्टर डोंगरे ने एक्सरे हेतु रिफर किया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट को उसके समक्ष परीक्षण हेतु रखे जाने पर उसने दाहिने हाथ की रेडियस और अलना हड्डी के नीचले भाग में

फ्रेक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 है। दिनांक 08.06.2010 को टेक्नीशियन ए.के.सेन ने रतिराम, उम्र 45 साल के सीने का एक्सरे किया था, उसका एक्सरे प्लेट क्रमांक 2419 था उपरोक्त एक्सरे प्लेट उसके समक्ष परीक्षण हेतु रखे जाने पर उसने आहत के सीने की हड्डियों में कोई फ्रेक्चर होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(21) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी रतिराम (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना 05.06.2010 की ग्राम भोरवाही रात्रि के 01:30 बजे की है। वाहन से वह शादी में गये थे। वाहन में उसके साथ लालचंद, राजेन्द्र, योगेन्द्र, एवं प्रताप बैठे हुये थे। वाहन को आरोपी देवानंद शराब पीकर लहराते हुये चला रहा था, जिससे वाहन पलटी खा गया था। वाहन के पलटने से उसे तथा वाहन में बैठे अन्य लोगों को भी चोटे आई। उसका मुलाहिजा बालाघाट अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राजेन्द्र (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना 05 जून रात्रि के 01:30 बजे की है। आरोपी ने वाहन मेक्स गाड़ी को शराब पीकर तेजगति से लहराते हुये चलाकर चट्टान से टकरा दिया, जिससे उसे तथा वाहन में बैठे अन्य लोगों को चोट आई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(22) अभियोजन साक्षी योगेन्द्र बिसेन (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग चार वर्ष पुरानी है। वह ग्राम भोरवाही (परसवाड़ा) से बारात में ग्राम कवलीवाड़ा जा रहा था। मार्शल गाड़ी में उसके बड़े भाई की बारात जा रहा थी। परसवाड़ा के आगे यहां से घाट चालू होता है वहां पर वाहन का एक्सीडेंट हो गया था। आरोपी शराब पिया हुआ था। आरोपी वाहन को लहराकर चला रहा था। दुर्घटना रात को एक से डेढ़ बजे के बीच हुई थी। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। दुर्घटना में उसे तथा उसके पिता लालचंद, रतिराम राहंगडाले, प्रताप भगत, राजेन्द्र को चोटे आई थी। घटना के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसका ईलाज जिला चिकित्सालय बालाघाट में हुआ था तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी

प्रताप यादव (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से चार वर्ष पुरानी रात्रि के 12530 बजे की है। वह ग्राम भोरवाही से उसके साडूभाई की लड़की की बारात से ग्राम कवलीवाड़ा जा रहा था। परसवाड़ा के आगे जहां घाट चालू होता है वहां पर उक्त वाहन का एक्सीडेंट हो गया था। वाहन अनियंत्रित हो गया था, जिससे वाहन चट्टान से जाकर टकरा गया था। आरोपी वाहन को शराब पीकर तेजगति से चला रहा था। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। दुर्घटना में उसे तथा योगेन्द्र, लालचंद, रतिराम, राजेन्द्र को चोटे आई थी। घटना के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(23) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी लालचंद (अ.सा. 3) एवं साक्षी/विवेचनाकर्ता नरेन्द्र दुबे (अ.सा. 9) तथा साक्षी महेश पटले (अ.सा. 8), डॉक्टर निलय जैन (अ.सा. 5), डॉक्टर डी.के.राउत (अ.सा. 1), रतिराम (अ.सा. 2), राजेन्द्र (अ.सा. 4), योगेन्द्र बिसेन (अ.सा. 6), प्रताप यादव (अ.सा. 7) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि आरोपी ने दिनांक 06.06.2010 को रात्रि के 01:00 बजे रंगोपाट आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम.पी.50-डी. 0137 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन को चट्टान से टकराकर लालचंद, रतिराम, योगेन्द्र एवं प्रताप को उपहति कारित की तथा राजेन्द्र को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

(24) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव में तर्क है कि फरियादी ने बिमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर झूठा फंसाया है। अभियोजन साक्षियों ने असत्य एवं दुर्भावना वंश कथन किये हैं। किन्तु आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता ने ऐसी कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि फरियादी ने बिमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर आरोपी को झूठा फंसाया है तथा अभियोजन साक्षियों ने असत्य एवं दुर्भावना वंश कथन किये हैं।

(25) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना

मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 06.06.2010 को रात्रि के 01:00 बजे रंगोपाट आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम.पी.50-डी.0137 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन को चट्टान से टकराकर लालचंद, रतिराम, योगेन्द्र एवं प्रताप को उपहति कारित की तथा राजेन्द्र को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

(26) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस-4), 338 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(27) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(28) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(29) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(30) आरोपी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्थात् दण्ड से दण्डित किया जावे।

(31) आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(32) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(33) आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को कम से कम

अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 (काउन्टस-4) के आरोप में प्रत्येक आहत के लिये 500/- (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के आरोप में 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक-एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(34) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम.पी.50-डी.0137 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जाये।

(35) निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)